न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 419/2016 बउनवानी नन्नू खां पुत्र श्री हठीला लुहार **बनाम** तहसीलदार सवाईमाधोपुर
निवासी फलोदी तह0 सवाईमाधोपुर
उप0–1. श्री मुकेश बंसल, वकील अपीलान्ट 2. श्री छोटू सिंह गुर्जर पैरोकार राजस्व

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न.ता. अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुआ
16.5.2017	प्रकरण राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार,2017 के तहत सुलह समझोते की भावना से निस्तारण किये जाने चिह्नित होने के कारण यह प्रकरण आज न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है। अपीलान्ट स्वंय,वकील अपीलान्ट, पैरोकार राजस्व एवं राजस्व लोक अदालत अभियान,2017 के सदस्यगण उपस्थित है। सुलह समझौते के तहत दौराने सुनवायी वकील अपीलान्ट ने कथन किया है कि अदालत मातहत द्वारा **मिसल संख्या 422/2015 में ग्राम फलोदी की आराजी ख0न0 2913 रकबा 0.02 है0 किस्म गै0मु0 चरागाह की भूमि में सम्वत् 2072 में** जोत लगाना अंकित करते हुये अतिक्रमणी माना है एवं **दिनांक 21.9.2015** को आदेश जैर अपील पारित कर 90 दिवस की सिविल कारावास से सजा से दण्डित किया है। किन्तु अपीलान्ट द्वारा विवादित अतिकमित भूमि पर से अपना अतिक्रमण हटा लेने एवं भविष्य में पुनः अतिकमण नही करने के आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है, साथ ही आदेश जैर अपील के तहत अपीलान्ट को दी गयी सिविल कारावास की सजा को माफ करने बाबत भी निवेदन किया है, इस सम्बन्ध में पैरोकार राजस्व ने जवाब दहस में कथन किया हे कि यद्यपि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर से अतिक्रमण हटा लेने व पुनः अतिक्रमण नही करने के आशय की अन्डर टेकिंग प्रस्तुत कर दी है, किन्तु सिविल कारावास की सजा माफ करने से पूर्व कब्जा हटा लेने बाबत भौतिक सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सिविल कारावास की सजा को सशर्त स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में अपनी और से अनापत्ती प्रस्तुत की गयी। उभयपक्षों को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि पैरोकार द्वारा प्रस्तुत तर्क विधि अनुरुप है, अतः अपील अपीलान्ट इस शर्त पर **आंशिक स्वीकार** की जाती है कि तहसीलदार **सवाईमाधोपुर** मौके पर जॉच कर यह सुनिश्चित करें कि यदि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर से अपना अतिक्रमण हटा लिया हो तो आदेश जैर अपील द्वारा अपीलान्ट को दी गयी सिविल कारावास की सजा को माफ समझी जावे एंद यदि अपीलान्ट का विवादित भूमि पर अतिक्रमण वर्तमान में भी पाया जाता है तो आदेश जैर अपील यथावत रहेगा। पत्रावली आज दिनांक 16.5.2017 को फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख क़ी जावे। आज्ञा सुनायी गयी। श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, सदस्य राजस्व लोक अदालत श्री हनुमान प्रसाद जैन, सदस्य राजस्व लोक अदालत (के.सी.वर्मा) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	